

अध्याय IV: आयकर और धनकर

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 हमने आय कर से संबंधित 124 उच्च मूल्य के मामलों, जिनमें ₹ 397.03 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है वित्त मंत्रालय को जून 2014 से सितम्बर 2014 के दौरान उनकी टिप्पणी हेतु संदर्भित किया है। इसके अलावा, इस अध्याय में ₹ 2.04 करोड़ की राशि धन कर से संबंधित 19 मामलों की भी चर्चा की गई है।

4.1.2 विभाग (आईटीडी) ने 31 मामलों को स्वीकार किया और ₹ 390.79 करोड़ के कर प्रभाव वाले 133 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की और ₹ 2.68 करोड़ के कर प्रभाव वाले चार मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की है।

4.1.3 इस अध्याय में 124 आय कर मामलों पर चर्चा की गई है, जिनमें से ₹ 312.80 करोड़ के कम प्रभार वाले 97 मामले और ₹ 84.12 करोड़ के अधिक प्रभार के 27 मामले शामिल हैं। गलत निर्धारण के इन मामलों से आयकर विभाग में प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है।

4.1.4 गलतियों के वर्गीकरण को व्यापक रूप से निम्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से बची आय
- अन्य कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

इस प्रतिवेदन की तालिका 2.4 (पैरा 2.5.5) गलतियों और उनके कर प्रभाव के व्यापक वर्गों का विवरण दर्शाती है।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओ ने निर्धारणों में गलतियां की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाते हैं जिसके सुधार किये जाने की आवश्यकता है। तालिका

4.1 गलतियों (परिशिष्ट 2.3 देखें) की उप श्रेणियां दर्शाती हैं जिसने निर्धारण की गुणवत्ता पर प्रभाव डाला।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	मामले	टीई	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	9	199.66	दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल
ख. कर, अधिप्रभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	7	31.50	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
ग. ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियां	20	30.77	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	2	0.74	बिहार और महाराष्ट्र
कुल	38	262.67	

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितिय त्रुटियां

हमने नीचे तीन निदर्शी मामले दिए हैं:

अधिनियम दर्शाता है कि एओ द्वारा कर या प्रतिदाय की उचित राशि, जैसा भी मामला हो निर्धारण और निश्चित करने में कुल आय या हानि का उचित निर्धारण किया जाना आवश्यक होता है।

4.2.2.1 पश्चिम बंगाल, डीआईटी-अन्तराष्ट्रीय कराधान कोलकाता प्रभार के एओ ने ₹ 2.47 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2010-11 के लिए **जोय पार्टनरशिप** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती की आय की गणना करते समय, एओ ने निर्धारिती द्वारा दर्शायी गई ₹ 10.50 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 2.56 करोड़ का आंकड़ा अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 8.04 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 3.4 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने धारा 143(3)/263 के तहत गलती को सुधारा (मार्च 2014)।

4.2.2.2 दिल्ली सीआईटी-सेन्ट्रल I प्रभार के एओ ने ₹ 43.36 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में धारा 143(3)/153 ए के तहत नि. व. 2010-11 के लिए एक व्यक्ति **पवन कुमार गुप्ता** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर की गणना करते समय एओ ने ₹ 433.68 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 43.36 करोड़ की कर योग्य आय की राशि को अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 187.21 करोड़ का कम कर लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (नवम्बर 2013)।

4.2.2.3 केरल, सीआईटी-सेन्ट्रल कोच्ची प्रभार के एओ ने ₹ 7.86 करोड़ की आय और उस पर ₹ 2.59 करोड़ के कर पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2004-05 के लिए एक व्यक्ति **मैथ्यू के चेरियन** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 234 बी के तहत ब्याज की गणना में अंकगणितिय त्रुटि के कारण ₹ 1.89 करोड़ तक राशि का कर कम लगाया गया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ का कर/ब्याज कम लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (अगस्त 2013)।

4.2.3 कर तथा अधिप्रभार की दरों को गलत लागू करना

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामलें नीचे दिए हैं:

अधिशुल्क सहित आयकर को संबंधित वित्त अधिनियम में निर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए।

4.2.3.1 सीआईटी-ग्वालियर प्रभार, मध्य प्रदेश में, एओ ने नि.व. 2007-08 तथा 2008-09 के लिए धारा 153ए/143(3) के तहत दिसम्बर 2010 में क्रमशः ₹ 137.96 करोड़ तथा ₹ 119.45 करोड़ की आय पर एक एओपी, दी ग्वालियर सीटीजन साख सहकारिता मर्यादित का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारिती एक एओपी था, तथापि एओ ने आय पर कर की संगणना करते समय निर्धारिती की स्थिति को एक सोसाइटी के रूप में व्यवहारित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप गलत संगणना हुई तथा दोनो निर्धारण वर्षों के लिए ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण कुल मिलाकर ₹ 11.71 करोड़²⁹ था। *आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक को सुधारा (मई 2011)।*

4.2.3.2 सीआईटी केन्द्रीय हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में, एओ ने दिसम्बर 2011 में धारा 143(3)/153सी के तहत नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 62.42 करोड़ की आय पर इन्द्रानी प्रसाद का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 62.42 करोड़ के पूंजीगत अर्जन पर 20 प्रतिशत की दर पर कर की विशेष दर लगाई गई भले ही सम्पत्ति धारण की अवधि तीन साल से कम थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9.71 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत चूक को सुधारा (मार्च 2013)।

²⁹ नि.व. 2007-08 के लिए ₹ 6.27 करोड़ नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 4.90 करोड़

4.2.3.3 सीआईटी जयपुर । प्रभार, राजस्थान में, नि.व. 2009-10 के लिए दिसम्बर 2011 में ₹ 72.98 लाख की आय की संवीक्षा करने के पश्चात एक व्यक्ति, कैलाश चन्द मोदानी का निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने कर की सामान्य दर की बजाय 15 प्रतिशत की विशेष दर पर अर्जित की लघु कालीन पूंजी अर्जन की संगणना की। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 17.21 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (जनवरी 2014)।

4.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां

हमने तीन ऐसे निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरो पर निर्धारिती की ओर से विभिन्न चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण हेतु व्यवस्था करता है।

4.2.4.1 सीआईटी ग्वालियर प्रभार, मध्य प्रदेश में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति अखिल सिंघल का ₹ 111.75 करोड़ की आय तथा उससे ₹ 61.28 करोड़. के कर पर निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने धारा 234ए के तहत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया भले ही निर्धारिती ने धारा 142 (1) के तहत प्राप्त नोटिस की प्रतिक्रिया में विलम्बित प्रतिदाय फाइल किया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.02 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (मई 2011)।

4.2.4.2 सीआईटी सैन्ट्रल IV मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के तहत जून 2011 में निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए एक व्यक्ति **इंद्रजीत आर्य** का क्रमशः ₹ 23.70 करोड़ तथा ₹ 61.28 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्वोक्त निर्धारण वर्षों के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज क्रमशः 35 माह तथा 23 माह के बजाय 12 माह तथा 11 माह के लिए उद्ग्रहित किया गया। चूक के परिणामस्वरूप दोनों निर्धारण वर्षों के लिए कुल मिलाकर ₹ 4.35 करोड़ ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (दिसम्बर 2013)।

अधिनियम की धारा 220(2) यह व्यवस्था करती है कि यदि धारा 156 के तहत किसी मांग नोटिस में निर्दिष्ट राशि का 30 दिनों की अवधि के अन्दर भुगतान न किया जाए तो निर्धारित अधिनियम में निर्दिष्ट रूप में साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4.2.4.3 सीआईटी गुडगाँव (सेंट्रल) प्रभार, हरियाणा में, एओ ने धारा 153बी(1) (बी) के तहत नि.व. 2009-10 के लिए दिसम्बर 2010 में ₹ 7.38 करोड़ की आय पर सुशील कुमार गुप्ता का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि निर्धारित ने 28 जनवरी 2011 की देय तिथि के प्रति 9 नवम्बर 2012 के ₹ 1.51 करोड़ की राशि के कर तथा ब्याज का भुगतान किया तथापि, एओ ने मांग का भुगतान करने में विलम्ब हेतु ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ₹ 30.08 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक को सुधार किया (दिसम्बर 2013)।

4.2.5 प्रतिदाय पर अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज

हमने ऐसे दो निदर्शी मामलों को नीचे दिया है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी भी नि.व. के लिए निर्धारित द्वारा भुगतान किए गए कर की राशि उस राशि से अधिक होती है जिसके लिए वह उस वर्ष के लिए अधिनियम के तहत उचित प्रकार से प्रभार योग्य है, तो वह अधिक प्रतिदाय का हकदार होगा। यदि नियमित निर्धारण या सारांश के रूप में निर्धारित कर के दस प्रतिशत से कम प्रतिदाय राशि हो, तो धारा 244ए(1) प्रतिदाय पर ब्याज की व्यवस्था करती है।

4.2.5.1 सीआईटी II मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, एओ ने नि.व. 2007-08 के लिए दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात एक फर्म केपीएमजी का निर्धारण पूरा किया जिसे फरवरी 2011 में ₹ 17.09 करोड़ की आय पर सुधारा गया जिसे आगे अक्टूबर 2012 में सीआईटी (अपील) आर्डर को प्रभावित करते समय ₹ 15.71 करोड़ तक संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने ₹ 5.29 करोड़ की निर्धारित आय पर तथा धारा 244ए के तहत इस तथ्य कि निर्धारित को दो किस्तों में ₹ 3.15 करोड़ का प्रतिदाय पहले ही मंजूर किया गया था, के बावजूद ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 3.01 करोड़ के प्रतिदाय पर निकले पहले भुगतान किए गए करों के समायोजन पर कर का उद्ग्रहण किया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 38.86 लाख की प्रतिदाय राशि पर ब्याज की अधिक स्वीकृति हुई आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (अक्टूबर 2013)।

4.2.5.2 सीआईटी II पटना प्रभार, बिहार में, एओ ने नि.व. 2007-08 के लिए नवम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति **अवधेश कुमार सिंह** का ₹ 35.20 लाख के प्रतिदाय को मंजूर करते हुए ₹ 3.25 लाख की आय का मूल्यांकन पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अमान्य हो गया था तथा इस रूप में निर्धारण के मामले को समय बाधित हो जाने के पश्चात पूरा किया गया। चूंकि इसके समय बाधित होने के पश्चात मूल्यांकन पूरा किया गया अतः ब्याज सहित ₹ 35.20 लाख के प्रतिदाय की स्वीकृत उचित नहीं थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की संगणना करने में निर्धारिती तथा इससे उपयुक्त प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए रियायत/छूट/कटौती को स्वीकृत करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने अनियमित रूप से उन लाभार्थियों जो इसके हकदार नहीं हैं, के लिए कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ का विस्तार किया है। ये मामलें आईटीडी जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है, की ओर से कर रियायत/कटौती/छूट के प्रशासन में कमी को दर्शाते हैं। तालिका 4.2 उन उप श्रेणियों को दर्शाती है (परिशिष्ट 2.3 के संदर्भ में) जिन्होंने कर रियायत/छूट/कटौती के प्रबंधन पर प्रभाव डाला है।

तालिका 4.2: कर रियायत/छूट/कटौती के प्रबंधन के तहत चूक की उप श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/रियायत	2	1.70	गुजरात तथा उत्तराखण्ड
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटी/एओपीज को दी गई अनियमित छूट/कटौती/रियायत	12	11.60	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु
ग. व्यवसायिक व्यय की गलत स्वीकृति	7	4.32	गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
घ. मूल्यहास/व्यवसायिक हानि/पूँजीगत हानि की स्वीकृति में अनियमितताएं	16	12.17	बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
जोड़			37 29.79

4.3.2 व्यक्तियों को अनियमित छूट/कटौती/रियायत

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

धारा 80आईसी औद्योगिक उपक्रमों या इन्टरप्राइजिज से लाभ तथा अर्जन के संदर्भ में कटौतियों को निश्चित करने में व्यवस्था करता है। जो किसी मद या वस्तु का निर्माण या उत्पादन अथवा किसी निर्दिष्ट क्षेत्र / अधिसूचित क्षेत्र या चौदहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में कोई संचालन प्रारम्भ करते हैं।

4.3.2.1 सीआईटी देहरादून प्रभार, उत्तराखण्ड में, एओ ने धारा 80आईसी के तहत नि.व. 2009-10 के लिए जून 2011 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 3.65 करोड़ की कटौती को स्वीकृत करने के पश्चात ₹ 5.99 लाख की आय पर एक व्यक्ति **प्रतीक कुमार** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती केवल सेवाएं प्रदान करने में ही संलग्न नहीं था अपितु वह रीयल एस्टेट कम्पनी से करार, कमीशन तथा ब्रोकिज से आय भी प्राप्त करता था तथा इसलिए वह धारा 80आईसी के तहत कटौती का पात्र नहीं था। कटौती की स्वीकृति में चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.57 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 3.65 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा धारा 148 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की (नवम्बर 2013)।

4.3.3 ट्रस्टो/फर्मो/सोसाइटियों/एओपीज को अनियमित छूट/कटौतियां/राहते

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

धारा 143(3) दर्शाती है कि एओ को सही आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं।

4.3.3.1 सीआईटी पटियाला प्रभार, पंजाब में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात धारा 12ए के तहत कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति **पटियाला इम्प्रूमेंट ट्रस्ट** का निर्धारण पूरा करते समय ₹ 11 लाख की आय पर ₹ 7.46 करोड़ की छूट स्वीकृत की भले ही कथित छूट केवल धर्मार्थ ट्रस्टो को उपलब्ध हो। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.90 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए एक समान राशि द्वारा छूट की अनियमित स्वीकृति हुई। आईटीडी ने धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2013)।

4.3.4 बिजनेस व्यय की गलत स्वीकृति

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, एओ संवीक्षा निर्धारण में सही आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। सीबीडीटी ने एओ को समय-समय पर निर्देश भी जारी किए हैं तथा उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि संवीक्षा निर्धारण में चूक हुई।

4.3.4.1 सीआईटी बरेली प्रभार, उत्तर प्रदेश में, एओ ने नि.व. 2006-07 के लिए अक्टूबर 2008 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 9.04 करोड़ की हानि पर एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी **किसान सहकारी चीनी मिल लि.** के निर्धारण की संगणना करते हुए 'कॉस्ट ऑफ कैन' शीर्ष के तहत गुड़ की लागत की ओर ₹ 4.10 करोड़ के व्यय को स्वीकृति दी। चूंकि उक्त व्यय चीनी के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री नहीं है इसलिए इसे अमान्य रूप में अस्वीकृत किया जाना चाहिए। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 4.10 करोड़ की व्यवसायिक हानि का अधिक निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (नवम्बर 2011)।

4.3.5 मूल्यहास/कारबार हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताएं

हम ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दर्शा रहे हैं:

धारा 72 आगामी निर्धारण वर्षों जहां हानि का संबंधित वर्ष के किसी शीर्ष के तहत आय के प्रति पूर्ण रूप से एक सीमा तक समंजन नहीं किया जाता, में समंजन करने के लिए हानि के अग्रेनयन की व्यवस्था करती है, यह निर्धारित नहीं हैं।

4.3.5.1 सीआईटी-XX मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 1.61 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति **शरद कांतिलाल शाह** का निर्धारण पूरा करते हुए ₹ 55.35 करोड़ की 'कारबार हानि' के प्रति ₹ 8.03 करोड़ की राशि की 'अन्य स्रोतों से आय' का समंजन नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 8.03 करोड़ की हानि का अधिक अग्रेनयन हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (जनवरी 2014)।

4.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

4.4.1 अधिनियम दर्शाता है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय शामिल होंगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के अंतर्गत ऑफर की जाने वाली अपेक्षित कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूकें थी, जिसके कारण वे कर से छूट गईं। तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाता है (परिशिष्ट 2.3 देखें) जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण से आय छूट गई।

तालिका 4.3: चूकों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय के अंतर्गत त्रुटियों (₹ करोड़ में) की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्यों
क. गलत वर्गीकरण तथा पूंजीगत लाभों की संगणना	4	2.67	गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु
ख. आय की गलत गणना	11	14.31	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
ग. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान लागू करने में चूकें	7	3.36	बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश
घ. धन कर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण करना	19	2.04	गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
जोड़	41	22.38	

4.4.2 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण तथा संगणना

हम ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दर्शा रहे हैं:

धारा 50सी में प्रावधान किया गया है कि जहां पर पूंजीगत भूमि या बिल्डिंग या दोनों के एक निर्धारिती द्वारा हस्तांतरित करने के परिणामतः प्राप्त मुआवजा ऐसे हस्तांतरण के संदर्भ में स्टैम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार के स्टैम्प वेल्थ प्राधिकरण द्वारा अपनाए मूल्य से कम हो तो उसे ऐसे हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त मुआवजे की पूर्ण कीमत माना जाएगा।

4.4.2.1 सीआईटी-। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 1.55 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति के. आर. जयराम का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता

चला कि अन्य किसी निर्धारिती के साथ निर्धारिती ने ₹ 3.19 करोड़ की सेल कंसीडरेशन हेतु 4.90 एकड़ भूमि बेची तथा प्राप्त सेल कंसीडरेशन के 50 प्रतिशत भाग पर संगणित ₹ 1.17 करोड़ का लघुकालीन पूंजीगत लाभ प्रस्तुत किया। तथापि, डिस्ट्रिक्ट राजस्व अधिकारी (स्टैम्प) द्वारा कथित सम्पत्ति की पुनः निर्धारित मार्केट वैल्यू ₹ 7.35 करोड़ थी। चूंकि मार्केट वैल्यू को संशोधित किया गया था अतः धारा 50सी के तहत पूंजीगत लाभों की संगणना के लिए सेल कंसीडरेशन ₹ 3.67 करोड़³⁰ माना जाना चाहिए। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 70.78 लाख के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 2.08 करोड़ के पूंजीगत लाभ का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा धारा 148 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013)।

4.4.3 आय की गलत संगणना

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

धारा 143(3) यह व्यवस्था करती है कि एओ आय की सही रूप से निश्चित तथा निर्धारित करें। लेखों, अभिलेखों दोनों में एकसाथ विभिन्न प्रकार के दावों तथा विवरणों में संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारण में विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है। सीबीडीटी ने समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

4.4.3.1 सीआईटी-। पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने एक एओपी **संगमनेर भाग सहकारी कारखाना लि.** का नि.व. 2007-08 के लिए नवम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 2.11 करोड़ की हानि पर निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एओ ने ₹ 2.11 करोड़ की प्रतिदाय आय को हानि के रूप में माना तथा इसे अगले निर्धारण वर्षों में अग्रनयन की अनुमति दी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.11 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 1.29 करोड़ के परिणामी संभावित कर प्रभाव की सीमा तक हानि का गलत अग्रेषण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (सितम्बर 2010)।

4.4.4 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में चूकें

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

धारा 40(ए)(आईए) दर्शाती है कि जहां टीडीएस में कटौती नहीं की गई है वहां भुगतानों के प्रति व्यय में कटौती अनुमत नहीं होगी।

³⁰ डिस्ट्रिक्ट राजस्व अधिकारी (स्टैम्प) द्वारा निश्चित रूप से ₹ 7.35 करोड़ का 50 प्रतिशत

4.4.4.1 सीआईटी-1 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 42.15 लाख की आय पर नि.व. 2007-08 के लिए दिसम्बर 2009 में एक फर्म **हकीमचंद डी एंड सन्स** का निर्धारण पूरा करते हुए निर्धारिती द्वारा लाइसेंस फीस पर ₹ 4.96 करोड़ की राशि के खर्चों को अनुमति दी जिस पर भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.22 करोड़ के कर प्रभाव वाली एक समान राशि से आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2013)।

4.4.4.2 सीआईटी रायपुर, छत्तीसगढ़ में, एओ ने ₹ 0.78 लाख की आय पर दिसम्बर 2010 में नि.व. 2008-09 के लिए एक फर्म **पी एन बी नायर** का निर्धारण पूरा करते समय निर्धारिती द्वारा 'ट्रक एंड जेसीबी रेंट' पर ₹ 24.96 लाख की राशि के व्ययों को स्वीकृति दी जिस पर भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 12.34 लाख के कर प्रभाव वाली एक समान राशि से आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2014)।

4.4.5 धन कर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण

मंत्रालय को जून 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान ₹ 2.04 करोड़ के कर प्रभाव सहित धन कर के 19 मामले सूचित किए गए। हमने पाया कि एओ ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटी के निर्देशों³¹ का अनुपालन नहीं किया। हम उदाहरणस्वरूप एक ऐसा मामला नीचे दर्शाया गया है:

4.4.5.1 सीआईटी III मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारिती **कम्पनी परसक्ति ट्रेडिंग कॉ. प्रा.लि.** ₹ 190.96 करोड़ की शहरी भूमि पर स्थित थी जो धन कर अधिनियम के अनुसार धन कर आकृष्ट करती है परन्तु नि.व. 2008-09 के लिए धन कर विवरणी फाइल नहीं की। आईटीडी ने इसके लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की। चूक के परिणामस्वरूप ₹19.53 करोड़ के करयोग्य धन कर का अपवंचन हुआ जिससे ब्याज सहित ₹ 28.32 लाख के धन कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने धन कर अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 16(5) के तहत चूक का सुधार किया (जनवरी 2013)।

³¹ नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984 में ए.ओ. को सीबीडीटी के निदेश जारी किये गये।

4.5 कर/ब्याज का अधिप्रभार

4.5.1 हमने आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 84.23 करोड़ के कर/ब्याज के अधिप्रभार सहित 27 मामलों (परिशिष्ट 2.3 देखें) में आय का अधिक निर्धारण देखा। हम ऐसे दो निदर्शी मामलों नीचे दे रहे हैं।

4.5.2 सीआईटी सेंट्रल हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में, एओ ने नि.व. 2007-08 तथा 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 677.93 करोड़ तथा ₹ 1197.32 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने नि.व. 2007-08 के लिए दो प्रतिशत की सही दर के बजाय तीन प्रतिशत पर शिक्षा अधिशुल्क उद्धग्रहित किया। इसके अलावा, धारा 234ए के तहत दोनों निर्धारण वर्षों के लिए अधिक ब्याज उद्धग्रहित किया गया तथा नि.व. 2009-10 के लिए धारा 234बी के तहत अधिक ब्याज उद्धग्रहित किया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 19.21 करोड़ के कर /ब्याज का अधिप्रभार हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत नि.व. 2008-09 के लिए चूक का सुधार किया (मई 2013)।

4.5.3 सीआईटी (सेंट्रल) । प्रभार, दिल्ली में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए धारा 143(3)/153सी के तहत ₹ 18.92 करोड़ की आय तथा उस पर ₹ 12.47 करोड़ के कर पर मार्च 2013 में एक व्यक्ति रिशू गुप्ता का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित आय पर कर की संगणना करते हुए ₹ 18.70 लाख की सही राशि के बजाय ₹ 6.23 करोड़ पर शिक्षा उपकर उद्धग्रहित किया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9.01 करोड़ का अधिप्रभार हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (नवम्बर 2013)।